



Neutral Citation No.2026:AHC-LKO:21435

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
दांडिक पुनरीक्षण सं. - 791 वर्ष 2025

आनंद वर्मा

..... पुनरीक्षणार्थी (गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग,
लखनऊ एवं एक अन्य

..... विरोधी पक्षकार (गण)

पुनरीक्षणार्थी (गण) के अधिवक्ता	: सीमा उपाध्याय, कुमार आयुष
विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता	: शा.अ.

न्यायालय सं. - 27

माननीय न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा

1. पुनरीक्षणार्थी के विद्वान् अधिवक्ता और राज्य-प्रत्युत्तरदाता की ओर से विद्वान् अ.शा.अ. को सुना गया, और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2. राज्य की ओर से प्रति-शपथपत्र दाखिल किया गया है, जिसे अभिलेख पर लिया गया है।

3. प्रत्युत्तरदाता संख्या दो को नोटिस तामील करा दिया गया है, किंतु वर्तमान पुनरीक्षण में

उसकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. प्रस्तुत दांडिक पुनरीक्षण, दं.प्र.सं. की धारा 397, सपठित धारा 401/(अब भा.ना.सु.सं., 2023 की धारा 438, सपठित धारा 442) के अधीन विद्वान् विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम, द्वितीय/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला अयोध्या द्वारा दांडिक अपील सं. 77 वर्ष 2024 (आनंद वर्मा एवं 2 अन्य बनाम उ.प्र. राज्य) में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 12.05.2025, और विद्वान् सिविल न्यायाधीश (ज्ये.व.) द्रु.ग.न्या./अ.मु.न्या.म., अयोध्या/फैजाबाद द्वारा, धारा 147, 323, 336, भा.दं.सं. के अधीन वाद अपराध सं. 191 वर्ष 2018, पुलिस थाना गोसाईगंज, जिला अयोध्या (उ. प्र. राज्य बनाम रमेश वर्मा एवं 12 अन्य) से उत्पन्न, वाद सं. 413 वर्ष 2019 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 28.08.2024 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

5. पुनरीक्षणार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पुनरीक्षणार्थी को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। अभियोजन के वर्णन के अनुसार, आक्षेपित निर्णय द्वारा, विद्वान् विचारण न्यायालय ने पुनरीक्षणार्थी और सह-अभियुक्तों की दोषसिद्धि की पुष्टि की है और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 के अधीन उन्हें परिवीक्षा का लाभ प्रदान किया है। पुनरीक्षणार्थी को परिवीक्षा का लाभ प्रदान करते समय, विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह भी संप्रेक्षित किया है कि दोषसिद्धि के कारण पुनरीक्षणार्थी सहित, किसी भी दोषसिद्ध व्यक्ति पर कोई अयोग्यता उत्पन्न नहीं होगी।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



6. पुनरीक्षणार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अभियोजन के वर्णन के अनुसार, सूचनाकर्ता ने इस प्रकथन के साथ एक प्र.सू.रि. दर्ज कराई थी कि पुनरीक्षणार्थी और दस अन्य नामित अभियुक्त व्यक्तियों ने 29.06.2018 को सुबह 10:00 बजे उसके पति और उसके बच्चों पर लाठी-डंडों से हमला किया था। जीत बहादुर सिंह की पुत्री, आयु लगभग 18 वर्ष, ने उसके पुत्र, प्रद्युमन तिवारी पर एक ईंट से हमला किया था, जिसके कारण उसकी पीठ पर चोटें आई थीं। वह अपने बच्चों को बचा रही थी। इसी बीच, किसी ने उसे धक्का दिया था और वह नीचे गिर गई थी, और उसके घुटने में चोट आई थी, जिसमें सूजन आ गई थी। प्र.सू.रि. में यह भी कहा गया है कि घटना के समय, सूचनादाता का पति, नामतः लाला सुरेंद्र, जो सेना में नियुक्त था, 30 दिन की छुट्टी पर अपने घर आया था और घटना के समय वह अपने घर की सफाई कर रहा था।

7. इसके बाद उसने निवेदित किया है कि इस मामले में, धारा 147, 323 और 336, भा.दं.सं. के अधीन 13 नामित अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्र.सू.रि. दर्ज कराई गई थी, जिनके विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया था, और विद्वान् विचारण न्यायालय ने पुनरीक्षणार्थी और सह-अभियुक्तों को धारा 147, 323 और 336, भा.दं.सं. के अधीन आरोपों के लिए दोषसिद्ध ठहराया था, किन्तु उन्हें तत्काल दंड सुनाने के स्थान पर, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ देते हुए, एक वर्ष की अवधि के लिए सदाचरण की परिवीक्षा पर निर्मुक्त कर दिया गया था।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



पुनरीक्षणार्थी ने अवर न्यायालय में परीक्षा बंधपत्र दाखिल किए थे और उसने परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

8. उन्होंने आगे निवेदित किया है कि इस वर्तमान पुनरीक्षण में, पुनरीक्षणार्थी के विरुद्ध अभिलिखित दोषसिद्धि का निष्कर्ष, सह-अभियुक्त के साथ पुनरीक्षणार्थी के अपराध के समवर्ती निष्कर्ष के कारण दिया गया है, जो उसके भव्नी आजीविका में कठिनाई उत्पन्न कर रहा है। उसने रेलवे भर्ती बोर्ड, चंडीगढ़ और आसूचना ब्यूरो में भी नियोजन के लिए आवेदन किया है। उसने लिखित परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं, किन्तु उसे आशंका है कि वर्तमान वाद में उसकी दोषसिद्धि के कारण, जो कि मामूली प्रकृति की है, पुलिस की प्रतिकूल रिपोर्ट के कारण उसकी नियुक्ति पर प्रभाव पड़ेगा।

9. वह अग्रेतर निवेदन करते हैं कि स्वतः प्र.सू.रि. में, न तो प्र.सू.रि. में और न ही साक्षियों के साक्ष्य में, अपराध में पुनरीक्षणार्थी की कोई विशिष्ट भूमिका निर्धारित की गई है। प्र.सू.रि. में ही यह कहा गया है कि चोटिल प्रद्युमन तिवारी पर जीत बहादुर सिंह की पुत्री दीपा द्वारा उसकी पीठ पर ईंट से हमला किया गया था, जिससे उसे चोटें आई थीं, और घटना के दौरान किसी ने सूचनादाता को धक्का दिया था, जिसके कारण वह नीचे गिर गई थी और उसके घुटने पर चोटें आई थीं, जिसमें सूजन आ गई थी। उन्होंने यह भी निवेदन किया है कि सूचनादाता पुष्पलता

की चोट रिपोर्ट में, उसके बाएं घुटने पर केवल एक चोट का उल्लेख है, जिसके साथ सूजन और “अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



दर्द का परिवाद भी अभिलिखित है, जिसकी पुष्टि अभि.सा.-5, डॉ. इंद्रजीत वर्मा ने की है। जबकि चिकित्सा रिपोर्ट के अनुसार, प्रद्युमन तिवारी की चोट घर्षण प्रकृति की थी, जो संभवतः 3-4 दिन पहले लगी हो सकती है।

10. इसके विपरीत, विद्वान् अ.शा.अ. ने निवेदित किया है कि विद्वान् अवर न्यायालय ने अपीलार्थी और सह-अभियुक्त को अभिकथित अपराधों के लिए उचित रीति दोषसिद्धि की है, और अपराधों की मामूली प्रकृति और चोटिल पुष्पालता और प्रद्युमन की चोटों की साधारण प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, पुनरीक्षणार्थी और सह-अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ प्रदान किया गया है। पुनरीक्षणार्थी को धारा 147, 323, 336, भा.दं.सं. के अधीन आरोपों के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है और दंड सुनाया गया है, और वर्तमान पुनरीक्षण में कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है, क्योंकि, विद्वान् विचारण न्यायालय और अपीलीय न्यायालय द्वारा उसे परिवीक्षा का लाभ प्रदान किए जाने के कारण, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की दृष्टि से उसे कोई अयोग्यता नहीं होगी।

11. मैंने पुनरीक्षणार्थी के विद्वान् अधिवक्ता और विद्वान् अ.शा.अ. द्वारा प्रस्तुत तर्कों के प्रकाश में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन किया है, और मैं पुनरीक्षणार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के इस तर्क में बल पाता हूँ कि अपराध में पुनरीक्षणार्थी की कोई विशिष्ट

भूमिका निर्दिष्ट नहीं की गई है। अपराध में केवल सह-अपराधी दीपा सिंह, जीत बहादुर सिंह “अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

की पुत्री, की ही एक विशिष्ट भूमिका निर्दिष्ट की गई है, उसके संबंध में, अभि.सा.-1 ने साक्ष्य दिया है कि उसने उसके पुत्र प्रद्युमन की पीठ पर ईंट से हमला किया था, किन्तु प्रद्युमन को लगी एकमात्र चोट घर्षण प्रकृति की है। अभि.सा.-1 पुष्पलता ने अपने साक्ष्य में कहा है कि घटना के दौरान गिरने के कारण उसके घुटने में चोट आई थी, क्योंकि किसी ने उसे धक्का दिया था। अभि.सा.-5 डॉ. वर्मा ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि श्रीमती पुष्पलता की चोट जमीन पर गिरने के कारण लगी हो सकती है। श्रीमती पुष्पलता की चोट जमीन पर गिरने के कारण ही लगी प्रतीत होती है। अभि.सा.-2 प्रद्युमन तिवारी ने अपने साक्ष्य में कहा है कि उसकी पीठ पर गहरी चोट लगी थी, किन्तु चोट की रिपोर्ट इस बात का समर्थन नहीं करती है, क्योंकि उसके शरीर पर केवल एक खरोंच पाई गई थी। वह प्रतिपरीक्षा के दौरान अभियुक्त व्यक्तियों के नाम नहीं बता सका था, और केवल इतना कहा था कि वे संख्या में 12 से 13 थे। अने 161, दं.प्र.सं. के अधीन किए गए अपने कथन में यह भी कहा था कि उसने इस संबंध में अपने भाइयों से जानकारी प्राप्त करके अभियुक्त व्यक्तियों के नाम बताए थे। उसने कहा है कि जीत बहादुर की पुत्री ने उस पर पत्थर से हमला किया था। इस घटना में उसे लाठी से चार चोटें लगी थीं, किन्तु उसकी चोट रिपोर्ट से इस कथन की पुष्टि नहीं हुई है। विद्वान् विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को दं.प्र.सं. की धारा 149 की सहायता से दोषसिद्ध नहीं ठहराया है, बल्कि उन्हें साधारणतः धारा 147, 323, 336, भा.दं.सं. के अधीन आरोपों के लिए दोषसिद्ध ठहराया

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



गया है, जो सामान्य उद्देश्य की विधि के अनुरूप नहीं है। अभियुक्त व्यक्तियों की संख्या, दो चोटिल व्यक्तियों को लगी चोटों की प्रकृति के, जो मामूली प्रकृति की हैं, अनुरूप नहीं है।

12. उपर्युक्त चर्चाओं और अभिलेख की सूक्ष्मता से जांच के आधार पर, मैं इस सुविचारित राय पर पहुंचा हूँ कि विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर, पुनरीक्षणार्थी की उक्त आरोपों के लिए दोषसिद्धि में, पुनरीक्षणार्थी के विरुद्ध अधिरोपित आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं हुए हैं। विचारण न्यायालय ने पुनरीक्षणार्थी को उक्त आरोपों के लिए दोषसिद्ध ठहराते समय, अभिलेख पर साक्ष्य का गलत मूल्यांकन किया है, जो संधार्य नहीं है। परिणामस्वरूप, आक्षेपित निर्णय और आदेश, जहां तक पुनरीक्षणार्थी को दोषसिद्ध ठहराने से संबंधित है, अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी, आनंद वर्मा के संबंध में पुनरीक्षण अनुज्ञात किया जाता है। परिणामस्वरूप, पुनरीक्षणार्थी को सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

13. इस आदेश की एक प्रमाणित प्रति सूचना और आगे की कार्रवाई के लिए विचारण न्यायालय को भेजी जाए।

(न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा)

मार्च 25, 2026

के आर

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”